Seventeenth Loksabha

>

Title: Request the government not to give reservation benefit to those who have changed their religion.

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद): **माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में अनुसूचित जनजाति से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रख रहा हूं । इस विषय को उठाने का उद्देश्य किसी जाति, धर्म व समुदाय का विरोध नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ जरूरतमंद को मिलें, यही मेरा कहना है ।**

हमारा संविधान अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के तहत संविधान की अनुसूची 5 और 6 में बहुत सुविधाएं प्रदान करता है । संविधान या किसी अन्य कानून में यह प्रावधान नहीं है कि ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद ये लोग उन लाभों को खो देंगे जो उन्हें धर्मांतरण से पहले अनुसूचित जनजाति के तौर पर मिलते हैं । ये लोग धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक का दोहरा लाभ लेते हैं और साथ ही ईसाई मिशनरियों द्वारा भी लाभ प्राप्त करते हैं । पूर्व में भी कई संगठन व सांसद धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले लाभों को खत्म करने हेतु कानून की मांग करते रहे हैं ।

मेरा सरकार से आग्रह है कि धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जनजाति के रूप में मिलने वाले लाभ को खत्म करने हेतु कानून बनाने पर विचार किया जाए । धन्यवाद ।